सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
******

संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत ''मद्यपान और नशीली दवा (ड्रग्स) के दुरुपयोग के निवारण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2022'' के संबंध में *''मद्यपान और नशीली दवा (ड्रग्स) के दुरुपयोग के निवारण हेतु कार्यरत बेहतरीन पंचायती राज अथवा नगरपालिका निकाय''* हेतु आवेदन आमंत्रण।

कृपया सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की दिनांक 05.05.2022 की अधिसूचना का अवलोकन करें, जिसके अंतर्गत मद्यपान और नशीले पदार्थ (ड्रग्स) दुरुपयोग के निवारण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार के वास्ते प्रत्येक निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए थे :-

I. संस्थागत श्रेणी :

(क) मद्यपान तथा नशीली दवा (ड्रग्स) के दुरूपयोग के पीड़ितों के लिए पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने के वास्ते सर्वश्रेष्ठ एकीकृत नशामुक्ति पुनर्वास केन्द्र (आईआरसीए)।
(ख) मद्यपान और नशीली दवा (ड्रग्स) के दुरुपयोग के निवारण हेतु कार्यरत बेहतरीन पंचायती राज अथवा नगरपालिका निकाय।
(ग) जागरूकता निर्माण तथा मद्यपान और नशीली दवा (ड्रग्स) दुरुपयोग निवारण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाला सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक संस्थान।
(घ) मद्यपान और नशीली दवा (ड्रग्स) दुरुपयोग निवारण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाला सर्वश्रेष्ठ गैर-लाभकारी संस्थान, जो उपर्युक्त क्र.सं. (i), (ii) और (iii) के अलावा हो।
(ङ) सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान अथवा नवोन्वेषण।
(च) सर्वश्रेष्ठ जागरूकता अभियान।

II. व्यक्तिगत श्रेणी :

(छ) किसी व्यक्ति विशेष की उत्कृष्ट उपलब्धि।

चूंकि संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत *''मद्यपान और नशीली दवा (ड्रग्स) दुरुपयोग निवारण हेतु कार्यरत बेहतरीन पंचायती राज अथवा नगरपालिका निकाय''* के लिए मंत्रालय को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए मंत्रालय द्वारा केवल इसी उप-श्रेणी के लिए एक बार फिर आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है।

I. आवेदन के लिए प्रक्रिया :

1. आवेदन निर्धारित मानदंड पूरा करने वाले संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदन केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में होने चाहिए। पुरस्कार की उप-श्रेणी के लिए निर्धारित मानदंड और राष्ट्रीय पुरस्कार स्कीम, 2022 का सम्पूर्ण ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in और मंत्रालय के ई-अनुदान पोर्टल पर देखा जा सकता है।

2. निम्नलिखित एजेंसियां अथवा व्यक्ति पुरस्कारों के लिए पात्र संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को नामित करने और सिफारिश करने लिए प्राधिकृत हैं:

(क) मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग और उनकी स्वायत्त संस्थाएं

(ख) संबंधित मुख्य मंत्री अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के उप-राज्यपालों के अनुमोदन से राज्य सरकारें अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन

(ग) नशा-मुक्ति के क्षेत्र में अपने क्षेत्राधिकार के दायरे में कार्यरत राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसियां (एसएलसीए)

(घ) राष्ट्रीय नशा-मुक्ति पुनर्वास परामर्शदात्री समिति (एनसीसीडीआर) के सदस्य

(ङ) प्रख्यात शीर्ष चैम्बर्स यथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर परिसंघ, भारतीय उद्योग संघ, भारतीय वाणिज्य और उद्योग एसोसिएटेड चैम्बर आदि।

(च) भूतपूर्व पुरस्कार प्राप्तकर्ता

(छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई), नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस), विश्वविद्यालय, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), आदि जैसे संगठन; और

(ज) उस जिले का जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट जहां संस्था अथवा व्यक्ति विशेष कार्यरत है।

(झ) आयुक्तालय के आयुक्त जहां संस्था अथवा व्यक्ति कार्यरत है।

3. केवल ऐसे नामांकनों अथवा सिफारिशों पर विचार किया जाएगा जो समुचित औचित्य के साथ समर्थित, इस प्रयोजनार्थ अधिकृत, एजेंसियों अथवा व्यक्तियों से प्राप्त होंगे।

4. आवेदन निर्धारित प्रपत्र में **11 जुलाई, 2022** से **30 जुलाई, 2022** तक राष्ट्रीय अवार्ड पोर्टल, गृह मंत्रालय **https://awards.gov.in/** पर ऑनलाइन भेजे जाने चाहिए।

5. केवल ''***मद्यपान और नशीली दवा (ड्रग्स) दुरुपयोग निवारण हेतु कार्यरत बेहतरीन पंचायती राज अथवा नगरपालिका निकाय***'' उप-श्रेणी के लिए आवेदन भेजे जाने चाहिए। अत: राष्ट्रीय अवार्ड पोर्टल पर अन्य उप-श्रेणियों के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही अंतिम तारीख के पश्चात और/अथवा निर्धारित प्राधिकारी/व्यक्तियों की सिफारिश के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे आवेदक, जो इस उप-श्रेणी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार-2020 के लिए पहले ही आवेदन कर चुके हैं, उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार-2022 के लिए विभाग में नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता है।